# नागरिकता

//

# नागरिकता

नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य के सदस्य के रूप में विधिक मान्यता प्रदान करना है, जिसके लिये प्रदत्त अधिकार एवं विशेषाधिकार और निष्ठा की आवश्यकता होती है। भारत में, नागरिकता संबंधी विधान परिभाषित करता है कि कौन इन अधिकारों का धारक है।

## नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधानों से संबंधित हैं, जिनमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि संविधान के लागू होने (26 जनवरी, 1950) पर कौन नागरिक बने।

## केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध अधिकार

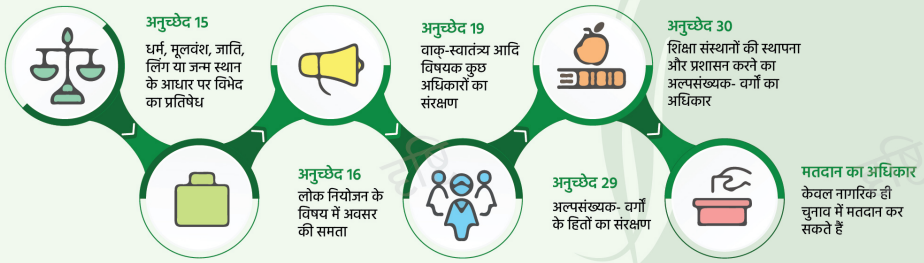


## नागरिकता अधिनियम, 1955

- **अर्जन और समाप्ति:** यह अधिनियम रेखांकित करता है:
  - भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधार:
    - जन्म
    - वंश
    - पंजीकरण
    - देशीकरण
    - क्षेत्र समाविष्टि
  - वे परिस्थितियाँ जिनके तहत नागरिकता समाप्त हो सकती है:
    - स्वैच्छिक त्याग
    - बर्खास्तगी के द्वारा
    - वंचित करने द्वारा
- **6 बार संशोधित (1986 से):** 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019

### नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019:

- पात्रता: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता प्रदान की जाती है।
- कानूनी दंड से छूट: यह अधिनियम इन समुदायों को भारत में अवैध प्रवेश या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के लिये विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत अभियोजन से छूट देता है, जिससे उन्हें कानूनी परिणामों का सामना किये बिना नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान होता है।

**और पढ़ें:** भारत की नागरिकता

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/citizenship-33